राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या –892/2016/बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा।
2. केसरबाई बेवा कल्याण
   निवासी–गोविन्दपुर बावड़ी तहसील तालोड़ा, जिला बूंदी .....अप्रार्थी

2. निगरानी संख्या –893/2016/ बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा।
2. रामगोपाल पुत्र श्री कल्याण
   निवासी–गोविन्दपुर बावड़ी तहसील तालोड़ा, जिला बूंदी .....अप्रार्थी

3. निगरानी संख्या –894/2016/ बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा
2. धन्नालाल पुत्र श्री कल्याण
   निवासी–गोविन्दपुर बावड़ी तहसील तालोड़ा, जिला बूंदी .....अप्रार्थी

4. निगरानी संख्या –895/2016/ बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा
2. मुजीबुर्रहमान पुत्र हाजी इकरामुद्दीन जाति मुसलमान मुख्तयारआम गणेशलाल, रामदेव, महावीर, बृजराज, देवलाल, पिसरान स्व0 श्री देवीराम, श्रीमती लाडा, श्रीमती गोबरी पुत्रियां स्व0 श्री देवीराम एवं श्रीमती भूलीबाई बेवा श्री देवीराम, जाति काछी, निवासी भोपतपुरा तहसील व जिला बूंदी .....अप्रार्थी

5. निगरानी संख्या –896/2016/ बूंदी

फ्रेन्ड्स एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सचिव पारस जैन पुत्र श्री मोहनलाल
निवासी तलवंडी कोटा। .....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, तालेड़ा
2. अमरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह
   निवासी–53 भोपतपुरा तहसील व जिला बूंदी .....अप्रार्थी

खण्डपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश दाधीच
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से

श्री रूपक शर्मा
अभिभाषक। (निगरानी संख्या 892, 893, 894/2016) .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
(निगरानी सं 895 एवं 896/2016 के अप्रार्थी के तामील के प्रकम पर)

दिनांक : 09.03.2018

लगातार.....2.

1 उक्त पांचों निगरानी प्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे **"अधीनस्थ न्यायालय"** कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 5, 6, 7, 8 व 9/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2015 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–65 के तहत् प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त पांचों निगरानियों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त पांचों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पांचों विक्रय पत्र जिनका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, उप पंजीयक, तालेड़ा के समक्ष दिनांक 28.05.2008 को प्रस्तुत किये जिन्हें तालिका में दर्शाए मूल्यांकन अनुसार मुद्रांक शुल्क आदि वसूल कर दस्तावेज पंजीबद्ध कर लौटा दिये गये। उक्त पांचों प्रकरणों का विवरण तालिका में दर्शित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

तालिका सं. 1

निगरानी संख्या	अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या	दस्तावेज संख्या	विक्रेतागण	क्रेतागण	भूमि व रकबा	पंजीयन के समय आंकी गई				
						मालियत	मुंद्राक कर	पंजीयन शुल्क	शास्ति	कुल
892/2016	5/13	12327/08	केसरबाई बेवा कल्याण	फ्रेन्डस एज्यूकेशन सोसायटी	ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार खसरा संख्या 101 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा	53,14,320	3,90330	20,490	3,00,590	7,11,410
893/2016	6/13	12327/08	केसरबाई बेवा कल्याण	फ्रेन्डस एज्यूकेशन सोसायटी	ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार खसरा संख्या 101 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा	53,14,320	3,90330	20,490	3,00,590	7,11,410
894/2016	7/13	12327/08	केसरबाई बेवा कल्याण	फ्रेन्डस एज्यूकेशन सोसायटी	ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार खसरा संख्या 101 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा	53,14,320	3,90330	20,490	3,00,590	7,11,410
895/2016	8/13	12327/08	केसरबाई बेवा कल्याण	फ्रेन्डस एज्यूकेशन सोसायटी	ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार खसरा संख्या 101 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा	53,14,320	3,90330	20,490	3,00,590	7,11,410
896/2016	9/13	12327/08	केसरबाई बेवा कल्याण	फ्रेन्डस एज्यूकेशन सोसायटी	ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार खसरा संख्या 101 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा	53,14,320	3,90330	20,490	3,00,590	7,11,410

उक्त पांचों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि वाके ग्राम गोविन्दपुर बावड़ी पटवार मण्डल, बल्लोप तहसील एवं जिला बूंदी राजस्थान में स्थित है, को जरिये पृथक–पृथक विक्रय पत्र दिनांक 23.01.2009 से क्रय किया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थी संस्था द्वारा शिक्षण संस्थान के उद्देश्य से क्रय की गई। इस हेतु प्रार्थी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (RIPS-2003) के तहत 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई। उप पंजीयक तालेड़ा द्वारा प्रश्नगत भूमि का वाणिज्यिक दर से गणना किये जाने संबंधी महालेखाकार के आक्षेप के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2015 द्वारा स्वीकार किया गया।

लगातार.....3.

उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.08.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी संस्था द्वारा उक्त पांचों निगरानियां प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य समान होने से उक्त प्रकरण का निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का खण्डन करते हुए यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उप पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को ज्यों का त्यों (as it is) उचित मानते हुए स्वीकर कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी हुआ प्रार्थी को तामील नहीं हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।

6. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह कथन रहा है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी ट्रस्ट द्वारा शिक्षण संस्थान के उद्देश्य से क्रय की गई। इस हेतु प्रार्थी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत् 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई। प्रार्थी संस्था द्वारा उक्त भूमि को अकृषि परिवर्तन हेतु भरसक प्रयास किये। इस सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा को दिनांक 22.03.2010, 19.04.2010 एवं 04.05.2010 को पत्र प्रेषित किये गये किन्तु उसके उपरान्त भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। जिसके पश्चात प्रार्थी संस्था द्वारा एक पत्र दिनांक 28.10.2014 को जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि भू–रूपान्तरण में विलम्ब होने से तकनीकी महाविद्यालय निर्माण की योजना रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है अतः प्रार्थी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के तहत स्टाम्प ड्यूटी तथा भू–रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का पंजीकरण रद्द करके सूचित करें ताकि हम उक्त ली गई छूट की राशि जमा करवा सकें। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुने राजस्व के रेफरेन्स को बिना किसी आधार के एक non speaking आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मस्तिष्क का उपयोग किये बिना तथा बिना किसी आधार का उल्लेख करते हुए सरसरी तौर पर रेफरेन्स को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरित आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

7. मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बावत् समस्त उचित कारणों को उल्लेख कर दिया गया है। अतः निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाये। अपने उक्त कथन के साथ

लगातार.....4.

विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

8. अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस तामील के पश्चात् भी प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 21.07.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थी की ओर से राजस्व की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स का कोई खण्डन नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेन्स को स्वीकार किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. प्रार्थीगण निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार संतोषजनक होने से निगरानी प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना श्रेयस्कर है। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

11. उक्त पांचों प्रकरणों में प्रार्थी संस्था द्वारा पृथक–पृथक पांच विक्रय पत्रों दिनांक 23.01.2009 से प्रश्नगत भूमि क्रय की गयी। प्रार्थी संस्था द्वारा उक्त भूमि शिक्षण प्रयोजनार्थ क्रय की गयी। जिस पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत छूट ली गयी। इस पर महालेखाकार के उक्त भूमि का वाणिज्यिक दर से गणना संबंधी आक्षेप के आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि इस हेतु प्रार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई। प्रार्थी संस्था द्वारा उक्त भूमि को अकृषि परिवर्तन हेतु भरसक प्रयास किये। इस सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा को दिनांक 22.03.2010, 19.04.2010 एवं 04.05.2010 को पत्र प्रेषित किये गये किन्तु उसके उपरान्त भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। जिसके पश्चात प्रार्थी ट्रस्ट द्वारा एक पत्र दिनांक 28.10.2014 को जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि भू–रूपान्तरण में विलम्ब होने से तकनीकी महाविद्यालय निर्माण की योजना रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया है, अतः प्रार्थी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 (RIPS 2003) के तहत् स्टाम्प ड्यूटी तथा भू–रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का पंजीकरण रद्द करके सूचित करें ताकि उनके उक्त ली गई छूट की राशि जमा करवाई जा सकें। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुने राजस्व के रेफरेन्स को बिना किसी आधार के एक non speaking आदेश द्वारा स्वीकार किया गया।

लगातार.....5.

12. पत्रावली के साथ उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी संस्था की ओर से अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स को ज्यों का त्यों (as it is) उचित मानते हुए स्वीकर कर लिया। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के अनुपस्थिति का प्रश्न है इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई भी नोटिस उसे तामील नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21.07.2015 को प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 21.02.2013 को दिनांक 21.03.2013 के लिये नियत की गयी। किन्तु इसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 18.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। दिनांक 18.06.2014 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.07.2014 नियत की गयी। किन्तु उक्त पत्रावली दिनांक 18.06.2014 के पश्चात् 21.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुई और दिनांक 21.07.2015 को उक्त प्रकरणों में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। इस प्रकार दिनांक 21.07.2015 को तारीख पेशी नियत नहीं होते हुए भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जो अविधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2015 की तारीख पेशी का नोटिस प्रार्थी संस्था के चौकीदार रतनलाल को तामीलशुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.2015 की तारीख पेशी नियत नहीं थी। इस प्रकार जो तारीख पेशी नियत की गयी उस तारीख पर प्रकरण सूचीबद्ध नहीं हुआ। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित तारीख को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण पेश नहीं हुए जो कि एक गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रार्थी संस्था को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस विधिवत रूप से तामील नहीं हुआ है। यह पीठ इस निश्चित मत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

13. अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2015 द्वारा रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु अपने आदेश में रेफरेंस के आधारों के सम्बंध में तथ्यों की कोई विवेचना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरांत ही उन्हें स्वीकार करने व न करने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करना चाहिए था, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सम्बंधित न्यायालय अपना निर्णय पारित कर सकेगी कि अवर अधिकारी/न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अथवा नहीं। किन्तु वर्तमान निगरानी प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया जिसे उचित नही कहा जा सकता है। इस संबंध में माननीय

लगातार.....6.

उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धरित किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

"…. To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/prayer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी संस्था के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आधार पर उप पंजीयक/राजस्व द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार कर लिया गया। रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का एवं मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किये जाने का कोई भी आधार आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2015 में उल्लेखित नहीं है, अतः उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में इसी तथ्य को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सचेतन मस्तिष्क का उपयोग किये बिना यांत्रिक रूप से non speaking और non reasoned आदेश पारित किया गया। इस प्रकार युक्तिसंगत/विधिसम्मत आधार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

15. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1996 पेज 503 उनवान श्रीमती गीतरानी बनाम श्रीमती पार्वती देवी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण की जांच हेतु विक्रेता आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65(2) के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

लगातार.....7.

उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः विधिनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने से पक्षकारों को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्राप्त होगा।

16. **वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 की तामील नहीं हुई है किन्तु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होगा। अतः निगरानी प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिये वर्तमान निगरानी प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थीगण के विरूद्ध तामील नहीं होने से भी उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभावकारित नहीं होता है।**

17. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा का आदेश दिनांक 19.08.2015 अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेशित किया जाता है कि विक्रेता को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाये।

18. निर्णय सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जायें।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

09/03/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य